मोटर वाहन द्वारा टक्कर मारकर भाग जाने की दषा में मृत्यु/गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को बीमा का अनावरण देते हुए दि ओरियण्टल इन्ष्योरेन्स कम्पनी के सहयोग से प्रदेष में यह योजना 01–7–1989 से क्रियान्वित की गयी है।

योजना का प्रषासनिक उत्तरदायित्व परिवहन विभाग का है। इस योजना में दावा स्वीकृत करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को है।

मोटर वाहन की टक्कर से मृत्यु /गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति योजना के पात्र है।

योजनान्तर्गत प्रीमियम का प्राविधान नहीं है। बल्कि साधारण बीमा निगम, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से '' सोलेंषियम निधि 'की स्थापना की गयी है जिसकी निर्धारित राषि का 70 प्रतिषत भाग साधारण बीमा निगम एवं 30 प्रतिषत भाग केन्द्र एवं राज्य सरकार देती है।

मोटर वाहन की टक्कर से मृत्यु की स्थिति में 25000/– रू0 एवं गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में 12500/– रू0 प्रति व्यक्ति हितलाभ की राषि अनुमन्य है।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com